परिशिष्ट–30

वाक–थ्रू प्रपत्र

नहर प्रणाली का नाम..... वाक–थ्रू की की तिथि.....

अल्पिका का नाम..... .....

वाक–थ्रू में उपस्थित सदस्य

क्र0सं0 नाम पदनाम हस्ताक्षर

मिट्टी का कार्य

क्र0	घटक	रीच किमी. में	स्थान			वर्तमान स्थिति				रख–रखाव की आवश्यकता			टिप्पणी
			बांयी पटरी	तली	दायीं पटरी	मरम्मत जरूरी है		पुनर्स्थापना जरूरी है		विवरण	प्राथमिकता		
						हाँ	नहीं	हाँ	नहीं		तत्काल	सामान्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	जंगल/जंगली घास												
2.	सिल्ट जमना												
3.	सेवा मार्ग/बैंक का शीर्ष												
4.	पटरी के बाहरी भाग में कटान												
5.	डौला												
6.	नहर का आन्तरिक सेक्शन (बर्म/कटान)												
7.	पुलों पर पहुँच ढ़ाल (रैम्प)												
8.	पटरियों के बाहरी ढ़लानो पर बने रपटे												
9.	पटरियों के बाहरी पंजों पर लगे फिल्टर												
10.	रिसाव नालियाँ (ड्रेनेज फिल्टर)												
11.	आर पार लगे बंधे												

पक्के कार्य

क्रमांक		पटरी		दशा				विवरण	रखरखाव की आवश्यकता		टिप्पणी
		बांयी	दायीं	मरम्मत जरूरी है		पुनर्स्थापना जरूरी है			प्राथमिकता		
				हाँ	नहीं	हाँ	नहीं		तत्काल	सामान्य	
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	पुल/फाल/वीयर के ऊपर की ओर (अपस्ट्रीम) की विंग दीवार										
2.	अल्पिका की लाइनिंग										
3.	बैड़बार/प्रोफाइल										
4.	संदर्भ खंभे										
5.	कि0मी0/हेक्टोमीटर के पत्थर										
6.	जल स्तर मापन गेज										
7.	कुलाबों की स्थिति एवं उनकी जल प्रवाह क्षमता										
8.	पुल/ फाल /वीयर के नीचे की ओर (डाउन स्ट्रीम) की विंग दीवार										
9.	फाल /वीयर की केस्ट										
10.	पुल/ फाल /वीयर/ रेगुलेटर के पुश्ते (एबटमेंट)										
11.	पुल/रेगुलेटर का डेक स्लैब व इसके जोड़										
12.	पुल/रेगुलेटर की मुंड़ेर										
13.	वीयर/रेगुलेटर के फाटक										
14.	स्टाप–लाग/फाटक चलाने की नाली										
15.	फाल /वीयर का स्टिलिंग बेसिन										
16.	पुल/ फाल /वीयर के ऊपर की ओर (अपस्ट्रीम) की पिचिंग										
17.	पुल/ फाल /वीयर के नीचे की										

क्रमांक		पटरी		दशा				विवरण	रखरखाव की आवश्यकता		टिप्पणी
		बांयी	दायीं	मरम्मत जरूरी है		पुनर्स्थापना जरूरी है			प्राथमिकता		
				हाँ	नहीं	हाँ	नहीं		तत्काल	सामान्य	
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	ओर (डाउन स्ट्रीम) की पिचिंग										
18.	कुलाबे का पाइप/हेडवार/टेलवार										
19.	एबटमेंट/पियर की नींव पर मिट्टी के आवरण की मोटाई										
20.	पुल/ फाल /वीयर के पास नहर की तली में फिल्टर/बैठने वाला एप्रेन										
21.	डैक–स्लैब/ फाल की क्रेस्ट में बने निकासी के छेदों का कार्य करना										
22.	अन्य										

सचिव, जल उपभोक्ता समिति का हस्ताक्षर

अध्यक्ष, जल उपभोक्ता समिति का हस्ताक्षर

सक्षम नहर अधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–30क

सहभागी वाक–थ्रू कार्यक्रम

खण्ड का नाम ..... **फसली .....**

क्र0सं0	अल्पिका / रजबहा का नाम	वाक–थ्रू का दिनांक	उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी का नाम	अभ्युक्ति

अध्यक्ष
खण्डीय पिम प्रकोष्ठ

पत्रांक : ...../...../तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता
2. अधीक्षण अभियन्ता
3. अधिशासी अभियन्ता
4. समस्त अध्यक्ष, रजबहा समिति

प्राक्कलन

अल्पिका/रजबहा समिति का नाम .....

खण्ड का नाम .....

खण्ड का पता .....

कार्य का नाम .....

कार्य की लागत .....

शीर्ष .....

अध्यक्ष का नाम .....
हस्ताक्षर .....
पता .....

प्राक्कलन का विवरण

1. खण्ड का नाम.....
2. सक्षम नहर अधिकारी का पदनाम.....
3. जल उपभोक्ता समिति का नाम.....
4. नहर का नाम.....
5. कार्य का नाम.....
6. कार्य का वित्तीय वर्ष.....
7. कार्य का सीजन.....
8. कार्य की कुल लागत.....
9. वाकथ्रू की तिथि.....
10. प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि.....
11. प्राक्कलन खण्ड में जमा करने की तिथि.....
12. प्राक्कलन का नम्बर.....
13. प्राक्कलन स्वीकृति की तिथि.....
14. प्राक्कलन की स्वीकृत धनराशि.....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष, कार्य उपसमिति

हस्ताक्षर,
अध्यक्ष, जल उपभोक्ता समिति

प्रतिवेदन

.....(नहर का नाम) पैतृक नहर .....के किमी0 .....से ..... पटरी से निकलती है। इसकी शीर्ष निस्तारण क्षमता .....क्यूसेक एवं शीर्ष पर तली की चौड़ाई .....मी0 तथा सी0सी0ए0 .....हेक्टेयर है। इसकी लम्बाई .....किमी0 तथा इसके पूर्व प्रवाह के समय जल की गहराई .....मी0 होती है। इस नहर से कुल.....कुलाबे तथा.. .....अल्पिकायें निकलती हैं। पूर्व में इस नहर का अनुरक्षण कार्य दिनांक.....से .....को किया गया था। इस नहर के अनुरक्षण हेतु दिनांक .....को वाक–थ्रू सर्वे आयोजित किया गया, जिसमें नहर की वर्तमान स्थिति निम्नवत् पायी गयीः–

.....
.....
.....

नहर की उक्त स्थिति को देखते हुए वाक–थ्रू में मुख्यतः निम्न कार्य कराने का निर्णय लिया गयाः–

.....
.....
.....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष, निर्माण उपसमिति

हस्ताक्षर
अध्यक्ष, जल उपभोक्ता समिति

परिशिष्ट–32

प्रशासनिक अनुमोदन का प्रपत्र

क्र0	कार्य की प्रकृति	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	दर	कार्य की लागत	टिप्पणी
A	तत्काल कराये जाने वाले कार्य					
कुल लागत						
B	सामान्य कार्य					
कुल लागत						
कुल लागत (A+B)						

हस्ताक्षर, निर्माण कार्य उपसिमिति

परिशिष्ट–33

कार्य की लागत का सारांश

क्र0	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कार्य की लागत
A					
कुल लागत					
B					
कुल लागत					
C					
कुल लागत					
कुल लागत(A+B+C+-----)					

जाँचकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

अध्यक्ष के हस्ताक्षर.....
स्वीकृत धनराशि.....
स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर.....

परिशिष्ट–34

दर विश्लेषण

क्र0	कार्य का नाम	दर
(1)	(2)	(3)

परिशिष्ट–35

प्रशासनिक अनुमोदन पंजिका

जल उपभोक्ता समिति का नाम.....

क्र0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि (रूपया)	अनुमोदन विवरण		अनुमोदित धनराशि	अभियुक्ति	व्यय शीर्षक
			बैठक की सं0	दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर
अध्यक्ष, जल उपभोक्ता समिति

परिशिष्ट–36

तकनीकी अनुमोदन पंजिका

क्र0सं0	अल्पिका/रजबहा समिति का नाम	प्रस्तावित कार्य का नाम	वाक–थ्रू का दिनांक	प्राक्कलन प्रेषण की तिथि	प्रस्तावित धनराशि	धनराशि जिस पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया	तकनीकी अनुमोदन प्रदान करने का दिनांक	तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन संख्या (सक्षम नहर अधिकारी द्वारा दिया जाएगा)	स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर/ नाम/पदनाम

परिशिष्ट–37

मस्टर रोल

(कार्य का नाम.....)

खण्ड का नाम.....निर्गमन तिथि.....

जल उपभोक्ता समिति का नाम.....माह.....वर्ष.....

निर्गमन तिथि.....

क्रसं.	श्रमिकों का नाम	पिता का नाम	पता	पुरूष/महिला	उपस्थिति की तिथियाँ							दिनों की कुल सं0	दर (प्रतिदिन)	कुल धनराशि	कटौती, यदि कोई हो	देय धनराशि	प्राप्तियाँ/हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	मेट के हस्ताक्षर																
	जाँचकर्ता के हस्ताक्षर																

निष्पादित कार्य का विवरण (माप पुस्तिका के अनुसार)					कुल धनराशि रूपया (.....) (शब्दों में)..... कार्य उपसमिति द्वारा सत्यापित धनराशि रूपया (.....) (शब्दों में).....
क्र0	कार्य	मात्रा	दर	धनराशि	
माप पुस्तिका का सन्दर्भ					भुगतान के लिये पारित जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष की मुहर और हस्ताक्षर
मापनकर्ता के हस्ताक्षर					

परिशिष्ट–38

मस्टर रोल पंजिका

क्र0सं0	अल्पिका/रजबहा समिति का नाम	निर्गत किए गए मस्टर रोल का विवरण	निर्गत करने की तिथि	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	अभियुक्ति

परिशिष्ट–39

कार्यादेश पंजिका

क्र0सं0	अल्पिका/रजबहा समिति का नाम	निर्गत किए गए कार्यादेशों का विवरण	निर्गत करने की तिथि	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	अभियुक्ति

कार्यादेश

कार्यादेश सं0..... जल उपभोक्ता समिति..... सिंचाई खण्ड..... जनपद.....

कार्य का नाम..... कार्य/पहुॅच का स्थान..... कार्य की अनुमानित लागत.... आरम्भ का दिनांक.....

समाप्ति का दिनांक.....

यह अनुबन्ध दिनांक .....को ..... समिति के अध्यक्ष (..... समिति के ओर से) जिसे आगे प्रथम पक्षकार कहा गया है; सिंचाई खण्ड.....(प्रथम पक्षकार) एवं श्री..... .....पुत्र.....निवासी.....जनपद..... उनके वशंज, प्रशासक तथा अधिकृत व्यक्ति (द्वितीय पक्षकार) के मध्य किया गया।

दोनों पक्षकार निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेंगे :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार, सारिणी में अंकित दरों की गणना के योग के अनुसार द्वितीय पक्षकार को दिये गये विशिष्ट निर्देशों तथा कार्य सारिणी के अनुसार, जो अनुबन्ध के साथ संलग्न है तथा सिंचाई विभाग की मानक विशिष्टियों के अनुरूप है, कार्य पूर्ति के .....माह के अन्दर भुगतान करने को सहमत हैं। द्वितीय पक्षकार सभी कार्यों का निष्पादन पूर्ण तत्परता, सतर्कता तथा परिशुद्धि एवं कार्यपरक विधि से संविदा की तिथि के .....माह के अर्न्तगत पूर्ण करने को सहमत है।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार वचन देता है कि वह श्रेष्ठ श्रेणी की निर्माणसामग्री का उपयोग करेगा तथा यदि प्रथम पक्षकार द्वारा कोई निमार्ण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है तो रसीद देकर प्राप्त कर सतर्कतापूर्वक उपयोग करेगा। ..... समिति से किसी सामग्री या वस्तु के प्राप्त न होने की दशा में संविदाकर्ता द्वारा सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित मानक विशिष्टियों के अनुसार सामग्री का उपयोग करेगा।
3. यह कि प्रथम पक्षकार द्वारा यदि कोई अग्रिम भुगतान किया गया है अथवा कार्य निष्पादन के दौरान कोई भुगतान किया गया है तो उसे कार्य पूर्ण होने पर भुगतान योग्य धनराशि से कटौती कर ली जाएगी। प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को भुगतान किये जाने वाले प्रत्येक बिलों की कुल धनराशि से 10% कटौती जमानत के रूप में की जाएगी जो द्वितीय पक्षकार को संबंधित कार्य के अन्तिम भुगतान के उपरान्त वापस कर दी जाएगी।

4. यह कि कार्य प्रगति की अवधि में किसी समय यदि कार्य की प्रगति अथवा प्रयुक्त निर्माण सामग्री की गुणवत्ता या कार्य निर्माण की शिल्पकारी या कारीगरी से प्रथम पक्षकार असंतुष्ट है तो संविदा बिना किसी सूचना के तत्काल निरस्त कर दी जाएगी तथा किसी नये संविदाकर्ता से अथवा दैनिक श्रमिकों को योजित कर यथा आवश्यक खराब कार्यों को ध्वस्त कर नया निर्माण कार्य करा लिया जाएगा। इस प्रकार कार्य को पूर्ण करने में व्यय की गई धनराशि का भुगतान नये संविदकर्ता को अथवा दैनिक श्रमिक को किया जाएगा। इसके साथ ही द्वितीय पक्षकार से इन कार्यों हेतु नये संविदाकर्ता अथवा दैनिक श्रमिक को किये गये भुगतान को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि, जितनी भी होगी, द्वितीय पक्षकार को भुगतान की जाएगी। यदि इन कार्यों को पूर्ण करने में आने वाली लागत द्वितीय पक्षकार के देय बिलों से पूरी नहीं होती है तो द्वितीय पक्षकार से ''ऋण के रूप में देयता'' के आधार पर वसूली की जाएगी।
5. यह कि यदि द्वितीय पक्षकार संविदा के कार्यों को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करने में विफल रहता है तो प्रथम पक्षकार द्वारा संविदा हेतु देय धनराशि अथवा संविदा की देय अवशेष धनराशि से रू0 ..... प्रतिदिन के हिसाब से उतने दिनों की कटौती की जाएगी जितने दिन कार्य पूर्ण हेतु निर्धारित तिथि तथा वास्तविक कार्य पूर्ण तिथि के अन्तराल की होगी। यदि प्रस्तर–4 में उल्लिखित कार्यवाही नहीं की गई तो उस दशा में संविदा की कुल धनराशि का अधिकतम 10% दण्ड लगाया जाएगा।
6. यह कि द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार को कार्य अथवा कार्य स्थल की दुर्घटना अथवा चोट लगने के दावे से सुरक्षित रखा जाएगा तथा प्रथम पक्षकार किसी दावे का, जो Compensation Act (VIII of 1923) के अर्न्तगत दायर हो, प्रतिरोध करने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक द्वितीय पक्षकार द्वारा इस हेतु लिखित अनुरोध न किया जाय तथा पर्याप्त धनराशि, जो सम्बन्धित दावे की प्रतिपूर्ति तथा प्रतिरोध करने पर व्यय हेतु आवश्यक हो, प्रथम पक्षकार को दावे के प्रतिरोध करने हेतु जमा न कर दिया जाय।
7. यह कि प्रथम पक्षकार अधिकृत होगा कि Compensation Act (VIII of 1923) में वर्णित प्रतिकर की धनराशि, जो भुगतान की जानी है, की वसूली द्वितीय पक्षकार से करलें अथवा द्वितीय पक्षकार को इस अनुबन्ध से देय धनराशि, यदि कोई हो, अथवा अन्य किसी लेखे से, जो भी हो, से वसूली कर लें।

8. यह कि प्रथम पक्षकार को उपरोक्त प्रस्तरों के उपबन्धों के न होते हुए भी यह अधिकार होगा कि द्वितीय पक्षकार की देय धनराशि, जो इस संविदा से देय हो अथवा किसी अन्य संविदा से देय हो, रोक सके।

9. यह कि इस संविदा की निरन्तरता के साथ उत्पन्न प्रत्येक विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न, जो विषय वस्तु की परिधि में हो अथवा संबंधित हो अथवा व्यक्ति एवं पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हो अथवा किसी व्यक्ति द्वारा दावा किया गया हो, को सम्बन्धित सक्षम नहर अधिकारी से एक स्तर ऊपर के अधिकारी को मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थ का विनिश्चय अन्तिम एवं पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

10. यह कि प्रथम पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की धनराशि का अधिकतम 70 प्रतिशत भुगतान चालू भुगतान के रूप में किया जा सकता है। अवशेष 30 प्रतिशत भुगतान (अन्तिम भुगतान) ....समिति की सामान्य सभा द्वारा उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के अन्तर्गत कार्य सन्तोषजनक होने के पारित प्रस्ताव के बाद ही किया जा सकता है। द्वितीय पक्षकार का यह दायित्व होगा कि अन्तिम भुगतान से सम्बन्धित सामान्य सभा की बैठक आहूत करने में प्रथम पक्षकार की यथा सम्भव सहायता करे।

11. कार्य का विवरण

क्र0सं0	कार्य का अनुमानित परिमाण (मात्रा)	इकाई	कार्य का विवरण	दर	कुल धनराशि	मद

इन साक्षियों के उपस्थिति में प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार ने इस अनुबन्ध को अंकित तिथियों में हस्ताक्षरित किया गया।

हस्ताक्षर ..... **हस्ताक्षर .....**

अध्यक्ष जल उपभोक्ता समिति..... **कार्यालय .....** **खण्ड का नाम .....** **प्रथम पक्षकार .....**	**(नाम द्वितीय पक्षकार)** ग्राम –
गवाह 1 ह0 व नाम –	पोस्ट –
पता –	थाना –
गवाह 2 ह0 व नाम –	तहसील –
पता –	जनपद –

परिशिष्ट–41

तुलनात्मक विवरण प्रपत्र

कार्यालय .....समिति

.....

.....

.....(कार्य का नाम) हेतु निविदा दाताओं/कोटेशन दाताओं द्वारा निविदा संख्या..... /कोटेशन संख्या.....के सापेक्ष दिए गए मूल्यों एवं शर्तों का तुलनात्मक विवरण।

निविदा/कोटेशन खोलने की तिथि.....समय.....स्थल.....

कार्य का विवरण (जैसा निविदा/कोटेशन नोटिस में अंकित हो)	निविदादाता/कोटेशन दाता का नाम व पता			निविदादाता/कोटेशन दाता का नाम व पता			निविदादाता/कोटेशन दाता का नाम व पता		
	दर	मात्रा	कुल धनराशि	दर	मात्रा	कुल धनराशि	दर	मात्रा	कुल धनराशि
कर/उपकर									

दर बोलने वाले का नाम व हस्ताक्षर विवरण तैयार करने वाले का नाम व हस्ताक्षर साक्षियों के नाम व हस्ताक्षर

निविदा सूचना

अध्यक्ष.....समिति , ...समिति .....खण्ड (कार्यालय तथा खण्ड का पता)... .....की ओर से .....आधार पर निम्नवत् निविदा आमंत्रित करते हैं–

क्र.सं.	जनपद/विकास खण्ड	सक्षम नहर अधिकारी का कार्यालय	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य	आगणित धनराशि	सत्यकार राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य कराने वाली जल उपभोक्ता समिति का पता	सिंचाई खण्ड का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

निविदा की शर्तें निम्न होगी–

1. कार्य पूर्ण करने की अवधि कॉलम (8) के अनुसार ..... होगी।
2. निविदा स्वीकार करने की वैधता, निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से 90 दिन होगी। एक बार दी गई निविदा वापस नहीं ली जा सकती है।
3. निविदा प्रपत्रों का सेट..... पर दिनांक .....समय .....बजे से दिनांक .....समय .....बजे तक प्राप्त की जा सकती है।
4. प्रत्येक दशा में निविदा ..... के कार्यालय पर दिनांक .....को ....बजे तक ही प्राप्त की जाएगी। रजिस्ट्री के माध्यम से जमा की जाने वाली निविदा निर्धारित समय से पूर्व निर्धारित स्थल/कार्यालय पर पहुँचाना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। रजिस्ट्री के माध्यम से जमा की जाने वाली निविदा अध्यक्ष,.....समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी के नाम से भेजी जाएगी।
5. निविदा .....कार्यालय पर दिनांक .....को .....बजे इच्छुक/उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी।
6. निविदा के साथ उक्त तालिका में सम्बन्धित कार्य हेतु विनिर्दिष्ट कॉलम (5) में अंकित सत्यकार राशि किसी शिड्यूल बैंक की एफ0डी0आर0, एन0एस0सी0, पोस्ट ऑफिस सेविंग

बैंक जिसकी वैधता न्यूनतम 45 दिनों की होगी, के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। सत्यकार राशि .....समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के नाम बंधक होगी।

7. ऐसे निविदादाता को निविदा डालने की अनुमति नहीं होगी जो स्वयं अथवा जिनके सगे सम्बन्धी या दम्पत्ति के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम ब्लड रिलेशन या उनके दम्पत्ति के ब्लड रिलेशन).....समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्य हैं।

8. ऐसे निविदादाता, जिनका आपराधिक रिकार्ड है, को निविदा डालने की अनुमति नहीं होगी।

9. निविदा प्रपत्र बिक्री के पश्चात् किसी भी दशा में वापस नहीं होगी।

10. अध्यक्ष,.....समिति को अधिकार होगा कि किसी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकार, अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकते है।

अध्यक्ष,

.....

.....

.....

कार्य की सामान्य शर्तें (संविदा की शर्तें)

1. संविदाकर्ता को निविदा के साथ निविदा की सकल धनराशि की 2 प्रतिशत धनराशि कैश या बाँड, जो ..... समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के पक्ष में बन्धक हो, धरोहर राशि के रूप में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त हो जाएगी।
2. जमानत धनराशि संविदा की कुल धनराशि की 10 प्रतिशत होगी जो संविदाकर्ता से निम्नानुसार प्राप्त की जाएगी–
   (i) यदि जमानत धनराशि बाँड के रूप में जमा नहीं की गई है तो संविदा के प्रत्येक कार्य के भुगतान से 10 प्रतिशत धनराशि की कटौती बतौर जमानत राशि तब तक की जाएगी जब तक इन कटौतियों तथा धरोहर की धनराशि का योग अनुबंधित धनराशि के 10 प्रतिशत के तुल्य न हो जाए।
   (ii) बाँड का सामयिक नवीकरण अथवा नया बाँड जमा करने का दायित्व संविदाकर्ता का होगा। इसके उल्लंघन का अर्थ संविदा का उल्लंघन समझा जाएगा और अध्यक्ष .... समिति को अधिकार होगा कि देय भुगतान से जमानत की धनराशि के तुल्य धनराशि की कटौती कर ले।
3. अध्यक्ष ..... समिति द्वारा, यदि कोई कटौती की गई है तो, जमानत धनराशि का अवशेष संविदा की शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण होने के 6 माह के उपरान्त वापस कर दी जाएगी। परन्तु शर्त यह होगी कि निर्माण की दशा में प्रथम वर्षा ऋतु के महीनों, जो 6 माह के उपरान्त होंगे, के समाप्ति के उपरान्त वापस की जाएगी।
4. संविदाकर्ता द्वारा कार्य का प्रारम्भ व कार्य को पूर्ण करने हेतु संविदा में उल्लिखित तिथि का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
5. यदि संविदाकर्ता द्वारा संविदा में दर्शित तिथियों के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो कार्य पूर्ण करने में लगने वाले अतिरिक्त दिनों हेतु संविदा की कुल धनराशि के 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से दण्ड लगाया जा सकता है तथा दण्ड की कटौती संविदाकर्ता के बिलों से कर ली जाएगी। परन्तु दण्ड की कुल धनराशि संविदा की कुल धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

6. यदि अध्यक्ष,.....समिति को यह समाधान हो जाये कि संविदाकर्ता द्वारा जानबूझ कर संविदा के कार्यों को विलम्बित किया गया है अथवा कार्य की गुणवत्ता को प्रभावित किया गया है तो उन्हें अधिकार होगा कि वह अपने हस्ताक्षरित नोटिस से संविदाकर्ता को हटा दें तथा क्षति की प्रतिपूर्ति कर लें।

7. अध्यक्ष ..... समिति को अधिकार होगा कि वह स्वयं निश्चय करके 7 दिवस की लिखित नोटिस देकर संविदाकर्ता के कार्य का मापन करके उससे कार्य वापस लेकर कार्य को पूरा करने हेतु किसी अन्य ठेकेदार को दे दें तथा मूल व्यय धनराशि संविदाकर्ता से उसके बकाया बिलों से कर लें।

8. यदि अध्यक्ष ..... समिति स्व निर्णय के आधार पर कार्य बंद करा देते हैं तो संविदाकर्ता किसी हानि अथवा क्षति के प्रतिकर का हकदार नहीं होगा जो किसी सामग्री के क्रय अथवा सामग्री के उपार्जन, जो संविदा के निष्पादन हेतु आवश्यक हों, के कारण हुआ हो। संविदाकर्ता ने जितने मूल्य का कार्य पूर्ण किया है वह उतने ही मूल्य पाने का अधिकारी होगा।

9. यदि किसी अवसर पर अध्यक्ष ..... समिति द्वारा उक्त प्रदत्त अधिकारों का उपयोग/प्रयोग नहीं किया गया है तो संविदाकर्ता के दोबारा त्रुटि करने पर इन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग प्रतिबंधित नहीं होगा और संविदाकर्ता द्वारा की गई त्रुटियों हेतु निर्धारित क्षति से संबंधित भुगतान का दायित्व संविदाकर्ता का होगा।

10. अध्यक्ष ..... समिति को यह अधिकार होगा कि वह, यदि विनिश्चय करे, संविदाकर्ता द्वारा लाए गए सभी टूल, प्लान्ट/मैटेरियल, जो स्टोर में हों अथवा निर्माण कार्य स्थल पर हो अथवा उसके किसी भाग को अपनी परिरक्षा में ले सकता है और आवश्यकतानुसार पूरा अथवा आंशिक रूप से कार्य पर लगा सकता है तथा संविदा दरों पर भुगतान हेतु आज्ञा दे सकता अथवा दरें न होने की दशा में वर्तमान बाजार की दरों पर भुगतान की आज्ञा दे सकता है।

11. अध्यक्ष ..... समिति द्वारा लिखित नोटिस के माध्यम से संविदाकर्ता अथवा उसके साइट क्लर्क अथवा अधिकृत एजेन्ट को टूल, प्लान्ट, मैटेरियल अथवा स्टोर को कार्य स्थल से हटाने (नोटिस में अंकित तिथि तक) का आदेश दे सकता है। यदि संविदाकर्ता इन आदेशों

का अनुपालन नहीं करता है तो अध्यक्ष ..... समिति द्वारा संविदाकर्ता के व्यय एवं उत्तरदायित्व पर इनकी नीलामी अथवा व्यक्तिगत बिक्री के आधार पर हटवा सकता है।

12. यदि संविदाकर्ता द्वारा किसी विपरीत परिस्थिति अथवा अवरोध, जो निर्माण कार्य में आ रहा है, के कारण कार्य पूर्ति समय को बढ़ाने की आवश्यकता समझता है तो वह अध्यक्ष जल उपभोक्ता समिति को इन अवरोधों के उत्पन्न होने के 15 दिन के अंदर समयवृद्धि का पर्याप्त आधार देकर आवेदन कर सकता है जिसपर अध्यक्ष .....समिति का निर्णय संविदाकर्ता पर बाध्यकारी एवं अंतिम होगा।

13. कार्य पूर्ण होने पर संविदाकर्ता द्वारा अध्यक्ष ..... समिति को पंजीकृत डाक से नोटिस, जिसमें कार्य पूरा होने की तिथि अंकित होगी, भेजी जाएगी जिसके आधार पर कार्य पूर्ण प्रमाण–पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया जाएगा। शर्त यह होगी ऐसा प्रमाण–पत्र तब तक न तो माँगा जाएगा और न दिया जाएगा जब तक संविदाकर्ता द्वारा सभी निष्प्रयोज्य सामग्री उस स्थान से, जहाँ कार्य हो रहा है, हटाकर साफ सुथरा न कर दिया जाय।

14. यदि कार्यस्थल की साफ सफाई संविदाकर्ता द्वारा कार्य पूर्ण की तिथि से पूर्व नहीं की गई तो अध्यक्ष ..... समिति द्वारा इन निष्प्रयोज्य निर्माण सामग्री को संविदाकर्ता के व्यय पर हटवा दिया जाएगा और संविदाकर्ता को इन सामग्रियों की बिक्री से प्राप्त धन से हटाने में हुए व्यय की कटौती के पश्चात् अवशेष धन को पाने का अधिकार होगा।

15. यदि कार्य हेतु व्यय अनुमान रूपया ..... से अधिक है तो इस दशा में संविदाकर्ता बिल प्रस्तुत करने के उपरान्त आनुपातिक, मासिक या भाग के भुगतान की माँग अध्यक्ष जल उपभोक्ता समिति से कर सकता है। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम तथा संविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

16. प्रस्तर 15 में उल्लिखित भुगतान, जो अग्रिम के रूप में होगा, संविदाकर्ता के अग्रिम बिल से समायोजित कर लिया जाएगा। इस अग्रिम भुगतान से संविदाकर्ता को कार्य से हटाने, कार्य को पुनः कराने, किसी गुणवत्ताविहीन कार्य को गुणवत्ता पूर्वक कराने तथा त्रुटि पूर्ण कार्यों/अधूरे कार्यों को समय से पूरा न किये गये कार्यों के सापेक्ष किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति करने की शक्ति अध्यक्ष जल उपभोक्ता समिति में निहित रहेगी।

17. यदि संविदाकर्ता कार्य छोड़ देता है या कार्य पूर्ण करने में असमर्थ है तो सक्षम नहर अधिकारी संविदाकर्ता द्वारा कराए गए कार्यों के मूल्यों को प्रमाणित करेंगे। यह प्रमाणीकरण

अंतिम तथा संविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगा तथा कार्य के प्रमाणित मूल्य से अधिक धनराशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

18. जब किसी व्यय अनुमान, जिस पर निविदा आमंत्रित की गई है, में एक मुश्त कार्य या कार्य के भाग का अंकन किया गया हो तो संविदाकर्ता कार्य का भुगतान संविदा में अंकित दरों के अनुसार पाने का हकदार उस दशा में होगा जब कि कार्य या कार्य का कोई भाग अध्यक्ष .... समिति की राय में मापन के योग्य नहीं है। ऐसी दशा में अध्यक्ष ..... समिति द्वारा एक मुश्त धनराशि, जैसा वह लिखित रूप में कार्य के मूल्य के अनुसार प्रमाणित करे, का भुगतान किया जाएगा तथा वह संविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

19. ..... समिति द्वारा निर्धारित नियत तिथि अथवा उसके पूर्व संविदाकर्ता, यदि आवश्यक हो तो, पूर्ववर्ती माह में निष्पादित कार्यों का बिल प्रस्तुत करेगा। अध्यक्ष, निर्माण कार्य उप–समिति द्वारा संविदाकर्ता के बिल की जाँच हेतु यथा आवश्यक माप की चेकिंग करेगा अथवा कराएगा तथा यथासम्भव संविदाकर्ता के दावे को समायोजित करेगा।

20. यदि संविदाकर्ता बिल नियत तिथि तक प्रस्तुत नहीं करता है तो उस दशा में अध्यक्ष, निर्माण कार्य उप–समिति द्वारा संविदाकर्ता को 7 दिवस की लिखित नोटिस देकर कार्य का मापन स्वयं अथवा किसी अन्य को निर्दिष्ट कर संविदाकर्ता की उपस्थिति में कराएगा तथा मापन पर संविदाकर्ता का हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। इस प्रकार किए गए मापन के आधार पर तैयार किया गया बिल संविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

21. यदि संविदाकर्ता मापन की निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होता अथवा उपस्थित होकर मापन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है तो प्रकरण सक्षम नहर अधिकारी को संदर्भित किया जाएगा जिसका निर्णय संविदकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

22. संविदाकर्ता छपे हुए फार्म **(परिशिष्ट–34 अथवा 35)** पर बिल प्रस्तुत करेगा। बिल में अंकित सभी आइटम की दरें निविदा में घोषित दरों पर आधारित होंगी।

23. संविदाकर्ता द्वारा निर्माण कार्यों के उपयोग हेतु जिस सामग्री की आपूर्ति की जाएगी वह सामग्री सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा न होने पर संविदाकर्ता भुगतान पाने का किसी भी दशा में हकदार नहीं होगा।

24. संविदाकर्ता द्वारा ..... समिति से जो निर्माण सामग्री प्राप्त की जाएगी उसका मूल्य संविदाकर्ता के बिलों से घटाया जाएगा। जिसमें इन सामग्रियों के परिवहन का व्यय भी सम्मिलित होगा।

25. संविदाकर्ता सम्पूर्ण कार्य अथवा कार्य के प्रत्येक भाग का कार्य कारीगरी और कार्यकुशलता व निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप, जो सामग्री की श्रेणी व अन्य प्रकार से भी होगी, निष्पादित करेगा। संविदाकर्ता द्वारा डिजाइन, ड्राइंग व विशिष्टियों के अनुरूप एवं सक्षम नहर अधिकारी अथवा समिति के लिखित निर्देशों के अनुसार कार्य निष्पादित करेगा। संविदाकर्ता अपने उपयोग हेतु निर्धारित भुगतान पर विशिष्टियों, डिजाइन, ड्राइंग एवं निर्देश की प्रति प्राप्त कर सकता है।

26. सक्षम नहर अधिकारी अथवा अध्यक्ष ..... समिति को कार्य प्रगति के दौरान आवश्यकतानुसार कार्य की मूल विशिष्टियों, ड्राइंग व डिजाइन तथा निर्देशों में बदलाव का अधिकार होगा। संविदाकर्ता ऐसे लिखित एवं हस्ताक्षरित निर्देशों के अनुपालन हेतु बाध्य होगा तथा इस प्रकार किये गये बदलाव से संविदा निष्प्रभावी नहीं होगी। सक्षम नहर अधिकारी अथवा समिति के निर्देशानुसार संविदाकर्ता द्वारा सभी अतिरिक्त कार्य मूल संविदा में लिखित मूल कार्य व दरों तथा शर्तों के अधीन निष्पादित करेगा।

27. संविदाकर्ता द्वारा उपरिवर्णित के अतिरिक्त कार्य हेतु समय की वृद्धि अध्यक्ष..... समिति द्वारा मूल संविदा के कार्यों के अनुपात में की जाएगी।

28. ..... समिति किसी भी समय संविदाकर्ता को लिखित नोटिस देकर कार्य को पूर्णतः बन्द अथवा उसका आकार छोटा कर सकती है। यदि कार्य पूर्ण रूप से बन्द करा दिया गया है तो संविदाकर्ता को निष्पादित कार्यों अथवा निष्पादन हेतु की गई तैयारी पर नोटिस प्राप्ति की तिथि तक किये गये व्यय का उचित भुगतान देय होगा। इस प्रकार के व्यय का आंकलन सक्षम नहर अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो संविदाकर्ता एवं समिति पर अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। यदि कार्य की मात्रा में कटौती की गई है तो भुगतान कटौती के अनुरूप किया जाएगा परन्तु किसी भी दशा में कोई प्रतिकर संविदा के पूर्ण होने की प्रत्याशा के प्रतिफल स्वरूप लाभांश की हानि हेतु देय नहीं होगा।

29. (i) यदि अध्यक्ष ..... समिति संतुष्ट है कि निर्माण के किसी अंश/भाग मे संविदा में उल्लिखित विशिष्टियों से खराब सामग्री का प्रयोग किया गया है अथवा

निर्माण कार्य त्रुटिपूर्ण है अथवा किसी सामग्री का प्रयोग, जिसका उल्लेख संविदा में है, की गुणवत्ता के अनुरूप नहीं किया गया है तो चाहे सामग्री/वस्तु का भुगतान पारित कर दिया गया हो अथवा भुगतान कर दिया गया हो संविदाकर्ता को निर्धारित तिथि तक सामग्री बदलने अथवा दुरूस्त करने हेतु .....समिति द्वारा लिखित नोटिस दिया जाएगा।

(ii) यदि संविदाकर्ता नोटिस के अनुसार नोटिस की समय सीमा के समाप्त होने के 10 दिन पश्चात् तक अनुपालन करने में असफल रहता है तो अध्यक्ष ..... समिति ऐसी त्रुटि का निराकरण स्वयं करा सकता है अथवा सामग्री अथवा वस्तु को बदलवा सकता है।

(iii) अध्यक्ष ..... समिति द्वारा प्रस्तर– 29(II) के अनुसार कराए गए कार्यों पर हुए व्यय का भुगतान संविदाकर्ता को करना होगा तथा इस सम्बन्ध में ..... समिति का लिखित प्रमाण संविदाकर्ता पर अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

30. कोई भी 14 वर्ष आयु से नीचे का श्रामिक योजित नहीं किया जाएगा। संविदाकर्ता अपने श्रामिकों का भुगतान उपयुक्त दर पर करेगा।

31. संविदाकर्ता बाध्य एवं उत्तरदायी है कि वह, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचलित श्रम कानूनों व न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम जो प्रवृति हो, का अनुपालन सुनिश्चित करे। कानून तथा नियमावली के अनुपालन में होने वाले व्यय को संविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा तथा संविदाकर्ता न तो किसी क्लेम अथवा अतिरिक्त भुगतान का हकदार होगा भले ही वह संविदा में इन लेखों का अंकन करना भूल गया हो।

32. उत्तर प्रदेश राज्य में श्रम नियमों के अर्न्तगत सभी भुगतान किया जाएगा। यदि संविदाकर्ता द्वारा किसी कार्य के भुगतान में इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी धनराशि की वसूली संविदाकर्ता से कर ली जाएगी। .....समिति द्वारा इस प्रकार की धनराशि जमानत धनराशि अथवा किसी अन्य धनराशि, जो संविदाकर्ता को देय हो, से कर ली जाएगी।

33. यदि संविदाकर्ता कार्य स्थल अथवा उससे संलग्न जमीन अथवा उसके भाग एवं उस पर किसी संरचना की तोड़फोड़, नुकसान, बदरंग या क्षतिग्रस्त करता है तो संविदाकर्ता स्वयं अपने व्यय से क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करेगा। संविदाकर्ता द्वारा ऐसा न करने पर .....

समिति स्वयं अपने व्यय से मरम्मत करा लेगी और संविदाकर्ता के देयकों से व्यय की गई धनराशि की कटौती कर लेगी।

34. संविदाकर्ता द्वारा अपने व्यय पर सभी सामग्री, मशीन, औजार, उपकरण, सीढ़ी, डोरी, रस्सी, पाइट, मचान और अस्थाई कार्य हेतु सामग्री, जो कार्य को निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप निष्पादित करने हेतु तथा संविदा शर्तों की संतुष्टि हेतु आवश्यक हो, की व्यवस्था की जाएगी तथा इसे कार्य स्थल तक लाने में परिवहन व्यय भी संविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

35. संविदाकर्ता द्वारा बिना किसी शुल्क के यथा आवश्यक सामग्री, स्कै फोल्डिंग, संख्या गिनने, तौल तथा मापन में सहयोग करने या कार्य या सामग्री का परीक्षण करने हेतु आवश्यक हो उपलब्ध कराया जाएगा। यदि संविदाकर्ता ऐसा करने में असफल रहता है तो ..... समिति द्वारा इसकी व्यवस्था की जाएगी जिसका व्यय संविदाकर्ता द्वारा जैसा कि अध्यक्ष .... समिति द्वारा अन्तिम रूप से प्रमाणित किया जाएगा, वहन किया जाएगा।

36. संविदाकर्ता द्वारा आवश्यक तार, बाड़ तथा प्रकाश, जो दुर्घटना बचाने हेतु आवश्यक हो, की व्यवस्था की जाएगी और किसी मुकद्मे या कानूनी कार्यवाही या अन्य कोई विधिक कार्यवाही, जो सुरक्षा उपायों को नजरअन्दाज करने के कारण किसी व्यक्ति द्वारा दायर किया गया हो, हेतु दायर वाद के फैसले में निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान संविदाकर्ता द्वारा किया जाएगा। यदि संविदाकर्ता भुगतान नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा की गई जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा और संविदाकर्ता संविदा के अनुसार वास्तविक निष्पादित किसी कार्य अथवा अंश के भुगतान का अधिकारी नहीं होगा।

37. संविदाकर्ता द्वारा कोई धनराशि, जो प्रतिकर के रूप में संविदा की शर्तों के अनुसार देय होगा, वही उपयुक्त प्रतिकर होगा जो संविदाकर्ता के किसी कृत्य या त्रुटि हेतु देय होगा। वास्तविक क्षति की धनराशि बिना किसी साक्ष्य के होगी।

38. यदि किसी कार्य हेतु विशिष्टियाँ उल्लिखित नहीं है तो कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निष्पादित कराया जाएगा। यदि मानक विशिष्टियाँ भी उपलब्ध न हो तो कार्य का निष्पादन अध्यक्ष, निर्माण कार्य उपसमिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी के निर्देश व आवश्यकता के अनुरूप कराया जाएगा।

39. इन शर्तों के अधीन यदि कोई संदर्भ अथवा व्याख्या न हो तो 'कार्य' का तात्पर्य या 'कार्य' का अर्थ, जो किया जाना हो या संविदा के अन्तर्गत निष्पादित किया गया हो चाहें वह कार्य

स्थाई या अस्थाई अथवा मूल स्वरूप में परिवर्तन या परिवर्धित या अतिरिक्त हो, वही होगा जो सक्षम नहर अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

40. प्रत्येक विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न जो दोनो पक्षकारों के मध्य किसी भी समय उठ सकता है अथवा कोई व्यक्ति जो इस संविदा के अर्न्तगत दावा करता है उसे सक्षम नहर अधिकारी की मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया जाएगा।

41. जो पक्षकार मध्यस्थ को विवाद/विवादों को संदर्भित करेगा वह विवाद या विवादों के विवरण के साथ प्रत्येक विवाद हेतु दावे की धनराशि का भी उल्लेख करेगा। मध्यस्थता की कार्यवाही में Arbitration Act 1940 या अन्य कोई कानूनी व्यवस्था (परिवर्धित या तत्संबंधी प्रवृत्त अधिनियम एवं बनाये गये नियम जो तत्समय प्रवृत्त होंगे) के प्राविधान प्रभावी होंगे। मध्यस्थ द्वारा समय–समय पर पक्षकारों की सहमति से निर्णय हेतु समय की वृद्धि की जा सकती हैं।

42. यदि संविदा में उल्लिखित कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो भी कार्य मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान भी जारी रखा जाएगा तथा संविदाकर्ता का कोई भी भुगतान मध्यस्थता की कार्यवाही के कारण रोका नहीं जाएगा जब तक कि मध्यस्थ द्वारा इस हेतु अधिकृत अथवा ऐसा आवश्यक न किया गया हो।

43. संविदाकर्ता द्वारा श्रमिकों हेतु उपयुक्त आवास, पानी एवं शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।

44. किसी घटना घटने के 48 घन्टे के भीतर दावा दाखिल न करने पर दावा अस्वीकार किया जा सकता है।

45. संविदाकर्ता को कार्य निष्पादन हेतु प्रोफाइल और नमूना बनाने हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

46. कार्य निष्पादन के दौरान यदि किसी कार्य हेतु दावे की उत्पत्ति हो तो संविदाकर्ता द्वारा पंजीकृत डाक से अध्यक्ष ..... समिति को दावे की उत्पत्ति के 15 दिन के अर्न्तगत भेजा जाएगा। यदि संविदाकर्ता ऐसा करने में विफल रहता है अथवा दावे स्थगित करता है तो वह कोई प्रतिकर पाने का हकदार नहीं होगा।

47. संविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य संविदाकर्ता के मस्टर रोल पर योजित श्रमिकों को बिना अध्यक्ष ..... समिति की अनुमति से अधिक पारिश्रमिक तथा अतिरिक्त सुविधाओं का लालच देकर योजित नहीं किया जा सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह हानि व क्षति का

उत्तरदायी होगा तथा यथास्थिति संविदाकर्ता द्वारा दावे किये जाने की दशा में अध्यक्ष ..... समिति का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

48. कार्य के दौरान सक्षम नहर अधिकारी अथवा सिंचाई विभाग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्य कराना संविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

49. संविदा की धनराशि का अधिकतम 70 प्रतिशत भुगतान चालू भुगतान के माध्यम से किया जा सकता है। अवशेष 30 प्रतिशत भुगतान (अन्तिम भुगतान) .....समिति की सामान्य सभा द्वारा उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के अन्तर्गत कार्य सन्तोषजनक होने के पारित प्रस्ताव के उपरान्त ही किया जाएगा। संविदाकर्ता का यह दायित्व होगा कि अन्तिम भुगतान हेतु सामान्य सभा की बैठक आहूत करने में .....समिति की यथा सम्भव सहायता करे।

50. यह अनुबन्ध मानक विशिष्टियों पर आधारित है। कार्य स्थल की सफाई संविदाकर्ता द्वारा अपने व्यय पर की जाएगी।

51. यथासंशोधित विभिन्न अधिनियमों एवं नियमो के अन्तर्गत संविदाकर्ता के बिल से आयकर, रायल्टी, व्यापार कर व अन्य कटौतियाँ की जाएगी।

52. निम्न गवाहों की उपस्थिति में प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार ने इस अनुबन्ध में अंकित तिथियों पर हस्ताक्षर किया गया।

ह0 संविदाकर्ता

.....

.....

ह0 अध्यक्ष,

.....

समिति .....

गवाह–1

नाम व हस्ताक्षर–.....

पता– .....

गवाह–2

नाम व हस्ताक्षर–.....

पता– .....

परिशिष्ट–44

कार्य की मात्रा की अनुसूची प्रपत्र

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कार्य की लागत
कुल लागत					

परिशिष्ट–45

माप पुस्तिका पंजिका

क्रमांक	जल उपभोक्ता समिति का नाम	एम0बी0 नम्बर	पेज सं0		कार्य का नाम	प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर
			से	तक				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

चालू भुगतान हेतु बिल प्रपत्र

1. कार्य का नाम.....
2. समिति का नाम.....
3. कार्य स्थल का विवरण .....
4. कार्य करने वाले ठेकेदार का नाम.....
5. अनुबन्ध संख्या/कार्यादेश .....
6. प्रस्तावित कार्य मापन का दिनांक एवं मापन पुस्तिका की पेज संख्या .....
7. अनुबन्ध/कार्यादेश की धनराशि.....

(क) पूर्व में किए गए चालू भुगतान का विवरण

चालू भुगतान संख्या	किए गए चालू भुगतान का विवरण				शुद्ध भुगतान की धनराशि (रू0)
	दिनांक	धनराशि (रू0)	माप पुस्तिका का सन्दर्भ	कटौतियों की धनराशि (यदि कोई हो)(रू0)	
प्रथम					
द्वितीय					
तृतीय					
कुल भुगतान एवं कटौतियाँ					

(ख) प्रस्तावित भुगतान का विवरण

चालू भुगतान संख्या .....

कार्य का विवरण	प्रस्तावित भुगतान का विवरण									अनुबन्धित एवं निष्पादित मात्रा में अन्तर		औचित्यय
	कार्य की मात्रा					दर	धनराशि का विवरण					
	कार्य की मात्रा अनुबन्ध के अनुसार	भुगतान की गई मात्रा	मापी के अनुसार मात्रा	अवशेष मात्रा [(4)-(3)]	माप पुस्तिका का सन्दर्भ		प्रस्तावित भुगतान की धनराशि (रू0)	कटौतियों की धनराशि (यदि कोई हो)(रू0)	शुद्ध प्रस्तावित देय धनराशि (रू0)	मात्रा	प्रतिशत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
कुल												

(ग) प्रस्तावित भुगतान

कुल धनराशि .....

कटौतियाँ.....

शुद्ध देय धनराशि .....

ठेकेदार के हस्ताक्षर

निमार्ण उप समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

अध्यक्ष .....

द्वारा बिल पास किया गया

हस्ताक्षर एवं मुहर

अन्तिम भुगतान हेतु बिल का प्रपत्र

1. कार्य का नाम.....
2. समिति का नाम.....
3. कार्य स्थल का विवरण .....
4. कार्य करने वाले ठेकेदार का नाम.....
5. अनुबन्ध/कार्यादेश संख्या .....
6. अनुबन्धित की धनराशि .....
7. अन्तिम मापन का दिनांक .....
8. अन्तिम मापन के माप–पुस्तिका की पेज संख्या .....
9. अन्तिम भुगतान हेतु सामान्य सभा द्वारा दिए गए अनुमोदन की तिथि (कार्यवृत्त पंजिका की पृष्ठ संख्या).....

क. पूर्व में किए गए समस्त चालू भुगतानों का विवरण

चालू भुगतान की संख्या	चालू भुगतान का विवरण				शुद्ध भुगतान की धनराशि (रू0 में)
	दिनांक	कुल धनराशि (रू0 में)	माप पुस्तिका का सन्दर्भ	कटौतियाँ यदि कोई हों (रू0 में)	
प्रथम					
द्वितीय					
तृतीय					
कुल भुगतान एवं कटौतियाँ					

ख. अन्तिम भुगतान का विवरण

कार्य का विवरण	प्रस्तावित भुगतान का विवरण									अनुबन्धित एवं निष्पादित मात्रा में अन्तर		औचित्यय
	कार्य की मात्रा					दर	धनराशि का विवरण					
	कार्य की मात्रा अनुबन्ध के अनुसार	भुगतान की गई मात्रा	मापी के अनुसार मात्रा	अवशेष मात्रा [(4)-(3)]	माप पुस्तिका का सन्दर्भ		प्रस्तावित भुगतान की धनराशि (रू0)	कटौतियों की धनराशि (यदि कोई हो)(रू0)	शुद्ध प्रस्तावित देय धनराशि (रू0)	मात्रा	प्रतिशत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
कुल												

(ग) अन्तिम भुगतान का विवरण

(1) अनुबन्ध की धनराशि.....

(2) कुल धनराशि (रू0).....

(3) कटौतियाँ (रू0).....

(4) शुद्ध देय धनराशि (रू0).....

(5) सक्षम स्तर से विचलन स्वीकृति की तिथि.....

(6) अन्तिम भुगतान हेतु सामान्य सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की तिथि .....

ठेकेदार के हस्ताक्षर

निमार्ण उप समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

अध्यक्ष.....द्वारा बिल पास किया गया

हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट–47क

सामान्य सभा द्वारा अन्तिम भुगतान हेतु अनुमोदन

..... समिति दिनांक ..... स्थान .....

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य के प्राक्कलन की स्वीकृति धनराशि	कार्य का माध्यम	कार्यों की सूची (नगवार)	स्वीकृत मात्रा	निष्पादित मात्रा	विवरण (चेनेज, कि0मी0 आदि)	अद्यतन भुगतान की धनराशि	अन्तिम भुगतान हेतु प्रस्तावित धनराशि	कार्य के सम्बन्ध में सक्षम नहर अधिकारी की टिप्पणी	अभियुक्ति

सामान्य सभा के सदस्यों की कुल संख्या.....

उपस्थित सदस्यों की संख्या .....

प्रस्ताव से सहमत सदस्यों की संख्या .....

हस्ताक्षर

अभियन्ता, ... समिति

हस्ताक्षर

अध्यक्ष, निर्माण कार्य उपसचिव

हस्ताक्षर

अध्यक्ष, ... समिति

हस्ताक्षर .....

सक्षम नहर अधिकारी/प्रतिनिधि

कार्य पंजिका

.....समिति का नाम वर्ष .....

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	प्राक्कलन संख्या	प्राक्कलित धनराशि	अनुबन्ध/कार्यादेश/मस्टर रोल का विवरण	अनुबन्ध/कार्यादेश/मस्टर रोल की धनराशि	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि /विस्तारित तिथि	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	भुगतान की गई धनराशि/ दिनांक			चलू भुगतान की कुल धनराशि एवं प्रतिशत	अन्तिम भुगतान हेतु सामान्य सभा से प्राप्त अनुमोदन का दिनांक	अन्तिम भुगतान की धनराशि/दिनांक	कुल भुगतान की धनराशि	अभियुक्ति
										प्रथम	द्वितीय	तृतीय					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

परिशिष्ट–49

आकस्मिक कार्य पंजिका

.....समिति का नाम वर्ष .....

क्र0सं0	जल उपभोक्ता समिति का नाम	आकस्मिक कार्य की सूचना की तिथि	आकस्मिक कार्य का विवरण कार्य स्थल सहित	आकस्मिक कार्य के प्राक्कलन के प्रेषणा की तिथि एवं धनराशि	प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति की तिथि व धनराशि	कार्य का माध्यम	भुगतान की गई धनराशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

परिशिष्ट–50

सिंचाई विभाग द्वारा .....समिति की ओर से कार्य कराए जाने हेतु समिति का प्रस्ताव

आज दिनांक .....को .....पर .....समिति की प्रबन्धन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

क्र0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर

प्रबन्धन समिति की उक्त बैठक में संलग्न वाक–थ्रू रिपोर्ट में उल्लिखित कार्यों को पूर्ण कराने में.....समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई। अतः निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत कार्य अधिनियम की धारा 16(2) के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाए।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष.....

.....

प्रतिलिपि–

1. सक्षम नहर अधिकारी
2. निबन्धक